

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक: 28.04.2026

संख्या:-1/अ०प्र०-1002/2025-सा०प्र०-7411/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 11.05.2026 से 05.06.2026 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररूपेण की जाती है:-

क्र.	प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है	प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ-02 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था
1	2	3
1	श्री विनय कुमार, भा.प्र.से.(2015), अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	भवन निर्माण विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
2	श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2015), अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।	सहकारिता विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
3	श्री अमित कुमार, भा.प्र.से.(2015), अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।	बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
4	श्री राशिद कलीम अंसारी, भा.प्र.से. (2015), प्रशासनिक पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (प्रतिनियुक्ति-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना) (अतिरिक्त प्रभार-अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना)	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
5	श्री विजय कुमार (2015), अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	शिक्षा विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
6	श्री राजेश परिमल (2015), अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।

7	श्री रिची पाण्डेय (2016), जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
8	श्री अंशुल कुमार (2016), जिला पदाधिकारी, पूर्णिया	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा निर्गत किया जायेगा।
9	श्री वैभव चौधरी (2016), अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।	स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
10	श्री संजय कुमार (2017), अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।	ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
11	श्री अभय झा (2017), अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।	ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


28/4/2026
(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/अ०प्र०-1002/2025-सा०प्र०-7411/पटना-15, दिनांक: 28.04.2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-01 एवं 06) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/4/2026
सरकार के अवर सचिव।